भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1302
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़
1302. श्री वीरेन्द्र सिंहः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी संख्या में सूखे और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए किसी योजना पर काम कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) : आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लोजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को भारत सरकार के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्यों के पास पहले से ही उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, मुआवजे के लिए नहीं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) वर्ष 2014-15 से पूरे देश में वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) को क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के एक घटक के रूप में आरएडी में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान दिया जाता है। आरएडी के तहत, फसलों/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि किसानों को न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि लाभ को अधिकतम करने में सक्षम बनाया जा सके, बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को कम करने में भी मदद मिल सके।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने नेशनल इन्नोवेशंस इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर (निक्रा) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और देश के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित और बढ़ावा देना है, और इस परियोजना के परिणाम सूखे, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी चरम मौसमी परिस्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में मदद करेंगे।

इसके अलावा, भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए खरीफ 2016 सीजन से उपज आधारित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) और मौसम आधारित "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना" (डब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है। इस योजना के तहत फसल कटाई से पहले से लेकर फसल कटाई के बाद के नुकसान तक व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दावों का भुगतान केवल उन्हीं किसानों को किया जाता है, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र/फसल में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है और प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान किया है।

*****